संख्या–612 / 33–1–2017–612 / 17

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
3. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।

पंचायती राज अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल, 2017

विषय–जनसंख्या में परिवर्तन अथवा ग्राम पंचायत के क्षेत्र को नगर पालिका आदि में सम्मिलित करने का प्रभाव एवं ऐसी ग्राम सभा को जो किसी नगर पालिका, कन्टोनमेन्ट, नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया में सम्मिलित की जाये, सम्पत्ति व दायित्व का निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–2934 / 9–1–2014–426सा / 14, दिनांक 28 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या–1099 / नौ–7–14–14 सी.वी. / 2012, दिनांक 26 सितम्बर, 2014 द्वारा क्रमशः नगर पंचायत सृजन एवं नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार एवं उच्चीकरण आदि की कार्यवाही की गई हैं, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के कतिपय जनपदों में नगर पंचायत के सृजन, नगर पालिका सीमा विस्तार / उच्चीकरण में ग्राम सभाएं सम्मिलित हुई हैं।

2– यह भी अवगत कराना है कि सृजित नगर पंचायत / नगर पालिका विस्तार आदि के उपरान्त सम्मिलित ग्राम सभाओं के सम्बन्ध में उनकी सम्पत्ति व दायित्व का निस्तारण कराने हेतु उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 की धारा 8 एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली के नियम 3–ककक में निम्नलिखित व्यवस्था प्राविधानित है :–

अधिनियम की धारा–8:– जनसंख्या में परिवर्तन अथवा ग्राम पंचायत के क्षेत्र को नगरपालिका आदि में सम्मिलित करने का प्रभाव– यदि किसी ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र किसी (नगर म्युनिसिपैलिटी) कैन्टोनमेन्ट, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया सम्मिलित कर दिया जाये तो (ग्राम पंचायत का अस्तित्व (Existance) समाप्त हो जाएगा और उसकी आस्तियाँ (Assests) तथा उसकी जिम्मेदारियाँ विहित रीति से निर्धारित कर दी जायेंगी। यदि ऐसे क्षेत्र को कोई भाग इस प्रकार सम्मिलित कर दिया गया तो ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र उतने भाग पर से हट जायेगा।

नियमावली का नियम– 3ककक–ऐसी ग्राम सभा जो किसी नगर पालिका, केन्टोनमेन्ट, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में सम्मिलित की जाए, सम्पत्ति व

अपर निदेशक (पं)
निदेशक
28/4/17

hp so

–2/–

दायित्व का निस्तारण–(1) यदि किसी ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र किसी नगरपालिका, कन्टोनमेन्ट, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में सम्मिलित कर दिया जाये तो ग्राम सभा का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा और उनकी सम्पत्ति तथा दायत्वि उस स्थानीय निकाय (Body) को हस्तान्तरित कर दिये जायेंगे जिसमें ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया जाये।

(2) यदि ऐसे क्षेत्र का कोई एक भाग उक्त रूप में सम्मिलित किया जाये तो ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में उतने भाग की कमी हो जायेगी और ग्राम सभा की सम्पत्ति तथा दायित्व का विभाजन निम्नांकित रीति से किया जायेगा–

(क) ग्राम सभा में उपलब्ध कोष, सम्पत्ति तथा दायित्व का विभाजन जन–संख्या के आधार पर ग्राम सभा और उस स्थानीय निकाय में किया जायेगा, जिसमें उसका कोई भार सम्मिलित किया जाये।

(ख) अचल सम्पत्ति पर स्वामित्व, यथास्थिति, उस ग्राम सभा या स्थानीय निकाय का होगा जिसमें वह क्षेत्र पड़ता हो, जिसमें कि उक्त सम्पत्ति स्थिति हो और नकद धन का विभाजन करने से उसके मूल्य को हिसाब में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(ग) निर्धारित प्राधिकारी उपरोक्त खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसार उपलब्ध कोष सम्पत्ति तथा दायित्व के वितरण की एक सूची तैयार करेगा और सम्बन्धित ग्राम सभा तथा स्थानीय निकाय के सूचना पट्ट पर चिपकाकर या अन्य रीति से, जैसा कि वह उचित समझें, उक्त सूची का प्रकाशन उक्त ग्राम सभा या स्थानीय निकाय के क्षेत्र में करायेगा।

(घ) ग्राम सभा का प्रधान या कोई सदस्य या सम्बन्धित स्थानीय निकाय का चेयरमैन या प्रेसीडेन्ट या कोई सदस्य खण्ड (ग) के अधीन सूची के प्रकाशन के तीन मास के भीतर वितरण सूची के विरूद्ध निर्धारित अधिकारी को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है और निर्धारित प्राधिकारी आपत्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आपत्तियों पर विचार करेगा।

(ड.) आपत्ति करने वाले व्यक्ति निर्धारित प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध उस दिनांक से जबकि निर्धारित प्राधिकारी की सूचना उसको मिली हो 15 दिन के भीतर जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है और अपील करने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा इस सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित किया जायेगा तथा जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय अन्तिम होगा। निर्धारित प्राधिकारी–इस नियम के प्रयोजनार्थ निर्धारित अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी हैं।

3– अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ग्राम सभाओं के नगर पंचायत सृजन/नगर पालिका परिषद/सीमा विस्तार में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप उनकी सम्पत्ति व दायित्वों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में उ.प्र. पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा–8 एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के नियम–3ककक में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

hp so

3/-

संख्या– 612(1)/33–1–2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
2. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उ.प्र.।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

hp so